

फर्द अहकाम

झीत/उपी नंबनाम छामर-यका

नाम न्यायालय

केस संख्या

301/124/2016

पाउ

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/10/25	<p>क्र. फा. इफ तहकीमगाउ चौक के कुरेगा माता हुये। को झाकिण पत्रावणी किया जाया/ बहक कुरेगा पर सुगी-वादी बहक पर मगन किया जाया/ पत्रावणी रप कुरेगा का डापकोकण किया जाया बता कायेय का पाउ बुलाविक कुरेगा अकिण डिफ्ट किया जाता है डिफ्ट पचा मारी हो विठिय ह्यकण के मिक्क मकड झाकिण पत्रावणी किया जाया/ पत्रावणी केकण बहाउ होकड इफ कुरेगा कण के तथा झाकिण हपतरे हा/ मगन</p>	

विशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक/मु0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी :-कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा सं०-301/124/18

उन्वान

1. गीता देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नींदड, तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
2. विजयलक्ष्मी पत्नी शकेश, जाति ब्राह्मण, निवासी 3/57 पारीक पथ, परसरामनगर सीकर रोह, जयपुर, जिला जयपुर।

-वादीयागण-

बनाम

1. शंकर पुत्र घिसा, जाति जाट, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)।
2. नाना देवी पत्नी रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज०)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-13.10.2025

पत्रावली पेश हुई, वकील फरिकेन उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2025 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है जिस पर बहस सुनी गई। तहसीलदार चौमूं से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट विधिवत रूप से प्राप्त हुये है।


पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि वाके ग्राम कुशलपुरा, पटवार हल्का कुशलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित खाता सं० 107 के खसरा नं० 881 रकबा 0.22 है०, कुल कित्ता 1 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि, खाता सं० 114 के खसरा नं० 879 रकबा 0.05 है०, खसरा नं० 880 रकबा 0.02 है०, कुल कित्ता 2 का कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि,

(म न)

खाता सं० 506 के खसरा नं० 878 रकबा 1.36 है०, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. विजयलक्ष्मी पत्नि राकेश जाति ब्राम्हण सा० हिरसा 3/57 पारीक पथ परसराम नगर सीकर रोड देहर का बालाजी जयपुर को आराजी खसरा नम्बर 982/3 रकबा 0.0327 है०, खसरा नम्बर 985/2 रकबा 0.1389 है०, खसरा नम्बर 985/4 रकबा 0.4781 है०, खसरा नम्बर 983 रकबा 0.0656 है०, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.0086 है०, खसरा नम्बर 986 रकबा 0.2198 है० कुल किता 6 का कुल रकबा 0.9437 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. शंकर पुत्र घीसा जाति जाट सा०देह खातेदार राहिन सिंडिकैन्ट बैंक शाखा फतेहपुरा को आराजी खसरा नम्बर 982/1 रकबा 0.6188 है० कुल किता 1 का कुल रकबा 0.6188 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. श्रवणी देवी पत्नि कैलाशचन्द जाति जाट सा०देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 982/2 रकबा 0.0765 है०, खसरा नम्बर 985/1 रकबा 0.0047 है० कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0812 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. नाना देवी पत्नि रामनाथ जाति जाट सा०देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 985/3 रकबा 0.0306 है० कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0306 है० भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक क्लर्क
(फा० ट्रे०/मुख्यालय)चौमूँ

डिक्री मुकदमा इब्दाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर
पीठारीन अधिकारी :-श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं०:-301/124/16

उनवान

1. गीता देवी पत्नी श्री भूराराम, जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नीदड, तहसील आमेर जिला जयपुर हाल निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
2. विजयलक्ष्मी पत्नी राकेश, जाति ब्राह्मण, निवासी 3/57 पारीक पथ, परसरामनगर सीकर रोह, जयपुर, जिला जयपुर।

-वादीयागण-

बनाम

1. शंकर पुत्र घिसा, जाति जाट, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज.)।
2. नाना देवी पत्नी रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज०)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण-

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं०:-301/124/16

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम कुशलपुरा, पटवार हल्का कुशलपुरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित खाता सं० 107 के खसरा नं० 881 रकबा 0.22 है०, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि, खाता सं० 114 के खसरा नं० 879 रकबा 0.05 है०, खसरा नं० 880 रकबा 0.02 है०, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि, खाता सं० 506 के खसरा नं० 878 रकबा 1.36 है०, कुल किता 1 का कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. विजयलक्ष्मी पत्नि राकेश जाति ब्राह्मण सा० हिस्सा 3/57 पारीक पथ परसराम नगर सीकर रोड ढेहर का बालाजी जयपुर को आराजी खसरा नम्बर 982/3 रकबा 0.0327 है०, खसरा नम्बर 985/2 रकबा 0.1389 है०, खसरा नम्बर 985/4 रकबा 0.4781 है०, खसरा नम्बर 983 रकबा 0.0656 है०, खसरा नम्बर

(कनक)


- 984 रकबा 0.0086 है0, खसरा नम्बर 986 रकबा 0.2198 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.9437 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. शंकर पुत्र धीरा जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन सिडिकैन्ट बैंक शाखा फतेहपुरा को आराजी खसरा नम्बर 982/1 रकबा 0.6188 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.6188 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. श्रवणी देवी पत्नि कैलाशचन्द जाति जाट सा0देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 982/2 रकबा 0.0765 है0, खसरा नम्बर 985/1 रकबा 0.0047 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 0.0812 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
4. नाना देवी पत्नि रामनाथ जाति जाट सा0देह खातेदार को आराजी खसरा नम्बर 985/3 रकबा 0.0306 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0306 है0 भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत 

ओहदा.....

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	2
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
8.मुतफरिक		7.मुतफरिक	
जोड़	3	जोड़	2

